न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 74/2021

शीर्षक

1. किसनपुरी पुत्र श्री हुक्मापुरी, आयु 70 वर्ष जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
2. सायरपुरी पुत्र श्री हुक्मापुरी, आयु 60 वर्ष जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. मालीरामपुरी
2. कजोडपुरी
3. संतोषपुरी
[redacted]लादपुरी

} पुत्रान मांगूपुरी

5. सीता पुत्री मांगूपुरी
6. शांति पुत्री मांगूपुरी
7. भैरूपुरी पुत्र घीसापुरी
8. सोहनी पत्नि गणपतपुरी
9. कैलाश पुत्र गणपतपुरी
10. नेमीचन्द पुत्र गणपतपुरी
11. जमना
12. गोठी
13. अंजू
14. मंजू
15. सुशीला

} पि0 गणपतपुरी

समस्त जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 6/4/23

उपस्थित– श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट (वादीगण)

दिनांक 19.07.2021 को वादीगण की ओर से एक दावा पेश किया गया कि विवादित भूमि ग्राम धानोता [redacted] शाहपुरा का साबिक ख0 न0 76/1.10 बीघा, 77/2.19, 78/0.04, 79/4.15, 80/0.01, 81/0.01, 82/1.06 कुल किता –7 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा है। जिसके हाल ख.न. 110/0.42, 111/1.09, 112/0.16, 113/0.10, 115/0.02, 116/0.04, 119/0.05 कुल किता– 7 रकबा 2.78 है0 भूमि है। यह कि साबिक व हाल रिकार्ड में घीसा मांग्या पि. इसरं कौम गुसाई सामलाती धानौता की खातेदारी में है। वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा एक ही व्यक्ति पूर्णपुरी थे। उनके दो पुत्र ईसरपुरी व भीवापुरी हुए। इसरपुरी के पुत्र भूरापुरी था। भीवापुरी के पुत्र हुक्मापुरी हुए। वादीगण का बडा भाई मदनपुरी भी है जो अर्सा 65 वर्षो से लापता है व मदनपुरी की शादी नहीं हुई थी। उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का आधा–आधा हिस्सा है एवं इसी प्रकार काबिल काश्त है। संबत 2012 से ही निरन्तर काबिल काश्त है। गिरदावरी संलग्न है। 65 वर्षो से वादीगण 1/2 भाग पर बिना किसी बाधा के काबिल काश्त है। एडवर्स पजेशन होने से खातेदारी अधिकार कानून प्राप्त हो चुके है। अतः वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे। साक्ष्य में गिरदावरी संवत 2012 से 2015, 2017 से 2019, 2028 से 2031, 2032 से 2033 पेश की। जमाबंदी साबिक जमाबंदी हाल मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी प्रथम सेटलमेन्ट 2004–2023 पेश की तथा सुवालाल पुत्र नाथूराम उम्र 72 वर्ष साकिन धानोता नंदलाल पुत्र महादेव प्रसाद उम्र 44 वर्ष साकिन धानौता , गुलाबचन्द पुत्र गंगाराम जाति यादव उम्र 78 वर्ष निवासी तिगरिया व वादी नं0 1 स्वयं के बयान करवाये। गिरदावरी संवत 2050 व 2051 पेश की। जमाबंदी 2047 से 2050 की पेश की। तथा विवादित संपूर्ण भूमि में 1/2 भाग की खातेदारी की मांग की। वकील वादीगण ने बहस में उपरोक्त तथ्यो को दोहराया प्रतिवादीगण के विरूद्व दि0 06.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो चुका है। उन्होने कोई जवाब पेश नहीं किया था। हमने अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया।

A.C. & E.M. (F.T.)

Scanned with OKEN Scanner

साबिक व हाल जमाबंदियो में ख0 नंबरो उनके क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर प्रश्नागत आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में है। वाद में प्रस्तुत सजरा की पुष्टि में साबिक जमाबंदी मदद देती है। जिसमें भीवापुरी पि. पूर्णापुरी 1/2 एवं माग्या व घीसा पि0 भुरापुरी बराबर हिस्सा, हिस्सा 1/2 गुसाई साकिन धानोता दर्ज है। खसरा गिरदावरी चौसाला का अध्ययन किया खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 में सा0 ख0न0 76 रकबा 1.10 है0 पर वादी प्रतिवादीगण के साथ अन्य का कब्जा है ख0 न0 77/2.19 बीघा पर भी यही स्थिति है। ख0 न0 79 रकबा 4.15 बीघा पर भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। संवत 2028 से 2030 में भी ख0 न0 79 पर वादीगण का नाम कब्जा अंकित है। एवं बयानो से भी कब्जो की पुष्टि होती है। साथ ही पूर्व में एसीएम शाहपुरा के मु0 नु0 189/94 ने निर्णय दिनांक 07.04.1995 की प्रति जो वादी ने पेश की है का अवलोकन जाने पर पाया गया कि वादीगण को ख0 न0 114 व 117 में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम धानौता तहसील शाहपुरा के हाल ख0 न0 110/0.42, 111/1.09, 112/0.16, 113/0.10, .115/0.02, 116/0.04, 119/0.05 कुल किता– 7 रकबा 2.78 है0 भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्सा हजफ कर वादीगण किशनपुरी व स[illegible]रपुरी पुत्रान हुक्मापुरी हिस्सा 1/2 जाति गुसाई निवासी धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/23........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
शाहपुरा जिला जयपुर
A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 74/2021

शीर्षक

1. किसनपुरी पुत्र श्री हुक्मापुरी, आयु 70 वर्ष जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
2 सायरपुरी पुत्र श्री हुक्मापुरी, आयु 60 वर्ष जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. म[redacted]लीरामपुरी
[redacted]जोडपुरी
3. संतोषपुरी
4. प्रहलादपुरी } पुत्रान मांगूपुरी

5. सीता पुत्री मांगूपुरी
6. शांति पुत्री मांगूपुरी
7. भैरूपुरी पुत्र घीसापुरी
8. सोहनी पत्नि गणपतपुरी
9. कैलाश पुत्र गणपतपुरी
10.नेमीचन्द पुत्र गणपतपुरी
11. जमना
12. गोठी
13 अंजू
14 मंजू
15. सुशीला } पि0 गणपतपुरी

समस्त जाति गुसाई निवासी धनोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 6/4/23

अतः [redacted]रोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम धानौता तहसील शाहपुरा के हाल ख0 न0 110/0.42, 111/1.09, 112/0.16, 113/0.10, 115/0.02, 116/0.04, 119/0.05 कुल किता– 7 रकबा 2.78 है0 भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 15 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्सा हजफ कर वादीगण किशनपुरी व सामरपुरी पुत्रान हुक्मापुरी हिस्सा 1/2 जाति गुसाई निवासी धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ...6/4/23....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (का0दे0)
शाहपुरा, जिला, जयपुर
A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner